विवरण

उत्तर प्रदेश के उन स्वैच्छिक संगठनों जिन्हें 1988-89 के दौरान सहायक अनुदान मंजूर किए गए थे, के नामों और वह प्रयोजन दर्शाने वाला विवरण जिसके लिए सहायक अनुदान दिया गया था :

स्वैच्छिक संगठन का नाम	1988-89 के दौरान दिया गया सहायक अनुदान	प्रयोजन जिसके लिए सहायक अनुदान दिया गया
	(रुपए)	
ईश्वर शरण आश्रम, इलाहाबाद	1,30,167	1. अस्पृश्यता निवारण 2. गांधी साहित्य भवन 3. मुद्रण में प्रशिक्षण 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बालिकाओं के लिए सचिवालय कार्य संस्थान 5. कार्यालय कर्मचारी
जन जागरण परिषद् सैदाबाद (इलाहाबाद)	1,14,568	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए, सिलाई तथा कसीदाकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तार

उत्तर प्रदेश में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

3224. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार के विकलांग व्यक्तियों को किस प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

विकलांगों के कल्याण की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, अपनी समन्वयकारी और गति निर्धारक भूमिका में केन्द्र द्वारा विकलांगों के पुनर्वास के लिए तैयार किए गए कार्यक्रमों में राज्य सरकारों के साथ-साथ स्वैच्छिक संगठनों को भी सहायता दी जा रही

है। उत्तर प्रदेश में विकलांगों के कल्याण की निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत सहायता दी गई है:—

विकलांग व्यक्तियों के लिए छात्रवृत्ति योजना

इस योजना के अंतर्गत कक्षा 9 से आगे के लिए विकलांग व्यक्तियों को छात्रवृत्तियां/वजीफे दिए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत सातवीं योजना के दौरान अब तक उत्तर प्रदेश सरकार को 91 लाख रू० की राशि विमुक्त की जा चुकी है।

उपकरणों/सहायक यंत्रों की खरीद/लगवाने के लिए विकलांग व्यक्तियों की सहायता की योजना

ऐसे विकलांग व्यक्तियों को जिनकी आय 1200 रू० प्रतिमास तक है, 25 रुपए से 3600 रू० तक की लागत के उपकरण तथा सहायक यंत्र इस योजना के अंतर्गत मुफ्त दिए जाते हैं तथा जिन व्यक्तियों की आय 1200/— से 2500/— रुपए प्रतिमास के बीच है, उन्हें लागत के 50% पर। सातवीं योजनावधि के दौरान अब तक उत्तर प्रदेश राज्य को 524 लाख रु० की राशि विमुक्त की जा चुकी है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए संगठनों को सहायता

इस योजना के अंतर्गत विकलांगों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत सहायक अनुदान अनुमानित आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय के 90% तक सीमित होता है। और भवन निर्माण के लिए 5 लाख रु० तक। सातवीं योजना के दौरान अब तक इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के स्वैच्छिक संगठनों को 161.00 लाख रुपए की राशि विमुक्त की जा चुकी है।

जिला पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना

यह योजना ग्रामीण विकलांग जनसंख्या को उनके द्वार पर ही सेवाएं उपलब्ध करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विकलांगता के निवारण तथा शीघ्र निर्धारण, जरूरतमंद व्यक्तियों को उपकरण और सहायक यंत्र प्रदान करने तथा रोजगार एवं स्वरोजगार प्राप्त करने सहित एक व्यापक और समन्वित पैकेज की परिकल्पना की गई है। उत्तर प्रदेश में दो केन्द्र सीतापुर और सुलतानपुर में स्वीकृत किए गए हैं। सातवीं योजना में अब तक इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश को 15.87 लाख रुपए की राशि विमुक्त की जा चुकी है।

भारत सरकार द्वारा देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान तथा कानपुर में कृत्रिम अंग निर्माण निगम की स्थापना की जा चुकी है। देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान एक शीर्ष स्तरीय निकाय है जो कार्मिकों के प्रशिक्षण, दृष्टिहीनता के विभिन्न पहलुओं में अनुसंधान का आयोजन, शिक्षा जैसे कार्यक्रमों के साथ-साथ पुनर्वास सहित उपस्कर सहायक साधन और उपकरण उत्पादन तथा विकास संबंधी सेवाएं भी प्रदान करता है। सातवीं योजना के दौरान 1988–89 तक इस संस्थान को 444 लाख रुपए की राशि विमुक्त की गई। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर में स्थापित किया गया है और कृत्रिम अंगों के निर्माण, पुनर्वास, सहायक सामग्री तथा देश के विकलांग व्यक्तियों द्वारा अपेक्षित अन्य उपकरणों का निर्माण करने वाला एक मात्र सार्वजनिक उपक्रम है। सातवीं योजना के दौरान, 1988–89 तक एलिम्को को 343 लाख रुपए की राशि विमुक्त की गई।